उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-324/2025/आई/1040028/23-1-25-23-1099/123/2024

लखनऊ:: दिनांक 29 जुलाई, 2025

<u>अधिसूचना</u>

जनपद फतेहपुर में ''प्राचीन मुगल रोड महर्षि स्कूल कोरांई होते हुए फतेहपुर बिन्दकी मार्ग (अन्य जिला मार्ग)'' का नामकरण ''पंडित गयादीन मार्ग'' (कुल लम्बाई 10.00 कि0मी0) किये जाने के संबंध में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-आई/125980/2025, दिनांक 07.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार नामकरण की सहर्ष अनुमति प्रदान करती हैं:-

क्र	जनपद	मार्ग का नाम	नामकरण
1	2	3	4
1	फतेहपुर	''प्राचीन मुगल रोड महर्षि स्कूल कोरांई होते हुए फतेहपुर बिन्दकी मार्ग (अन्य जिला मार्ग)'' (कुल लम्बाई 10.00 कि0मी0)	''पंडित गयादीन मार्ग''

प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

<u>संख्या-324/2025/आई/1040028(1)/23-1-25-23-1099/123/2024, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, फतेहपुर ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. अधीक्षण अभियंता (नियोजन/परियोजना), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आगामी गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in